

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-120/2023-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/2025

डा० नितेश कुमार, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, मखदुमपुर, जहानाबाद सम्प्रति ट्यूटर, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का दिनांक-22.05.2019 से 23.05.2022 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-24.05.2022 से 30.06.2022 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है -

i	दिनांक-22.05.2019 से 23.05.2022 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii	दिनांक-24.05.2022 से 30.06.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2 प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/एल-120/2023-

919(2)

पटना, दिनांक

4/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, मखदुमपुर, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० नितेश कुमार, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, मखदुमपुर, जहानाबाद सम्प्रति ट्यूटर, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Bh
102/6/25

सरकार के अवर सचिव